इण्डिया इन्वेस्टमार्ट

परियोजना प्रस्तावों का पोर्टफोलियो

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश अमेरिकी डालर (मिलियन)
खाद्य प्रसंस्करण . . .	57	266.45
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद . . .	46	93.09
कपड़ा और तैयार परिधान . . .	50	269.79
धातुकर्म उद्योग . . .	32	338.76
रसायन और सहायक उत्पाद . . .	60	581.65
विविध	2	23.60
	247	156.34

नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की आवश्यकता

4968. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के "स्टेट्समैन" में नीड फार एडवान्सड टैक्नालाजी स्ट्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है,

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में हाल ही में पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गयी है,

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस अनुमति के परिणामस्वरूप देश में नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिए सम्बन्धित विभागों से इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार इस बात को मानती है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त होने और आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन से भारतीय उद्योग विश्व बाजार में प्रतियोगी बन जायेगा । जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति में, निर्यात-आयात नीति, 1992--97 में और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजटों में किए गए उपायों का उद्देश्य भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने में सहायता करना है ।

(घ) विगत में घोषित आयात-निर्यात नीति में ऐसे पुराने पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी जिनका न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष हो । इस अनुमति को आयात-निर्यात नीति--1992-97 में भी शामिल किया गया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।